No.DPS/306/2012-13/233 Administration of Daman and Diu, Deptt. of Planning & Statistics, Secretariat, Fort Area, Daman 396220.

Dated : 1/1 /05/2013.

ORDER

In exercise of the powers conferred under section 7(1) of the Registration of Births and Deaths Act, 1969, and in pursuance of the Order dated 20/09/2010 of the Hon'ble Supreme Court of India, the Administrator of the UT of Daman and Diu is hereby pleased to declare the following Medical Officers as Registrar of Births and Deaths to discharge the function conveyed to them under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 and Daman and Diu Registration of Births and Deaths Rules,2000 made thereunder. This work will be in addition to their own duties.

SI. No.	Designation and Name of the Institutions / Area
1.	Dy. Director,
	Community Health Centre, Moti Daman.
2.	Medical Superintendent,
	Government Hospital Marwad, Nani Daman.
3.	Incharge, Medical Officer,
	Primary Health Centre, Kachigam, Daman.
4	Senior Surgeon,
	Government Hospital, Diu.
5.	Health Officer,
	Community Health Centre, Ghoghla, Diu.
6.	Deputy Director / Incharge Medical Officer,
	Primary Health Centre, Vanakbara, Diu.

By Order and in the name of the Administrator of Daman and Diu

(Dr. S. D. Bhardwaj) Deputy Secretary (Planning)/ Addl. Chief Registrar(RBD)

Copy to :

- 1. The Development Commissioner/ Chief Registrars of Births and Deaths, Daman and Diu.
- 2. The Collector / District Registrar of Births and Deaths, Daman / Diu.
- 3. The Director, Directorate of Medical and Health Services, Daman.
- 4. The Head of Office, Govt. Printing Press, Daman for publication in the Official Gazette.
- 5. The BDO/ Additional District Registrar of Births and Deaths, Daman /Diu.
- 6. The Health Officer, Community Health Centre, Diu.
- 7. The State Informatic Officer, NIC, Secretariat with request to upload the same in the Official website.

संख्या यो.सा.वि./306/2012-13/233 संघ प्रदेश दमण एवं दीव प्रशासन योजना एवं सांख्यिकी विभाग, सचिवालय, फोर्ट एरिया मोटी दमण - 396220 दिनांक : 14/04/2013 05

आ दे श

जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा-7(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20-09-2010 का अनुसरण करते हुए, प्रशासक, संघ प्रदेश दमण एवं दीव एतदद्वद्वारा जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 तथा दमण एवं दीव जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण नियमावली, 2000 के तहत प्रदत्त कार्यों का निष्पादन करने के लिए निम्नलिखित चिकित्सा अधिकारियों को रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यू घोषित करते हैं । यह कार्य उनके अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त होगा :-

क्र.सं.	पदनाम एवं संस्थानों / क्षेत्र का नाम
1.	उप निदेशक, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मोटी दमण
2.	चिकित्सा अधीक्षक, सरकारी अस्पताल, मरवइ, नानी दमण
3.	प्रभारी, चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कचीगाम, दमण
4.	वरिष्ठ सर्जन, सरकारी अस्पताल, दीव
5.	चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, घोघला, दीव
6.	अप-निदेशक / प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वणांकबारा, दीव

प्रशासक, दमण एव आदेश एवं नामानुसार

(डॉ. एस. डी. भारद्वाज) उप-सचिव (योजना)/ अपर मुख्य रजिस्ट्रार (आर.बी.डी.)

प्रतिलिपि :-

विकास आयुक्त / मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु, दमण एवं दीव । 1.

समाहर्ता / जिला रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु, दमण एवं दीव । 2.

निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, दमण । 3

- कार्यालय अध्यक्ष, सरकारी मुद्रणालय, दमण को इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशानार्थ । 4.
- खंड विकास अधिकारी / अपर जिला रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु, दमण एवं दीव । 5.
- स्वास्थ्य अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, दीव । 6.

12.2/ Planing / 40